FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... केदार

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–41 सन्–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–41/2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.09.2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम जटवाड़ा में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा न0 663 रकबा 0.03 पर गैरसायल केदार पुत्र बदरी जाति मीना निवासी जटवाड़ा द्वारा तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा सीमाज्ञान हेतु मौखिक रूप से निवेदन किया गया एवं सीमाज्ञान पश्चात स्वयं के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया गया। राजस्व टीम द्वारा मौके पर सीमाज्ञान कर अतिक्रमण चिन्हित किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.09 रूपये का 50 गुणा 5 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग [illegible] बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Rajesh Kumar Date: 2024.05.23 15:20:38 IST Reason: SelfAttested नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा) रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2022-23 की र0 स0 64 पर 5 रु0 मांग कायम की गई। तहसील राजस्व लेखाकार	